

योजना का नाम- जनपद देहरादून, मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित वेवर्ली कॉन्वेन्ट स्कूल इस्टेट में श्री मनोज कुमार काला एवं श्री अक्षत कुमार काला पुत्रगण स्व० टीकाराम काला, निवासी- सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड, मसूरी, जिला- देहरादून के स्वामित्व की कुल 408.76 वर्ग मी० भूमि है. जिसमें से 141.13 वर्ग मी० अर्थात् 0.014113 है० क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू-प्रत्यावर्तन की पूर्वानुमति लिए जाने का प्रस्ताव.

संलग्नक- 18

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मसूरी स्थित वेवर्ली कॉन्वेन्ट स्कूल इस्टेट उत्तर प्रदेश गजट नोटिफिकेशन 2361/xiv/v-394-60 दिनांक 21 अप्रैल 1966 के सूची क्रमांक 84 के अनुसार नोटिफाइड प्राइवेट फॉरेस्ट इस्टेट है। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होंगे। फलस्वरूप वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सन् 1966 के गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्ताव के संलग्नक-19 पर दी जा रही है।

~~वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज~~


(मनोज कुमार काला)
पुत्र स्व० टीकाराम काला,
निवासी- सुधा निवास, हरनाम सिंह रोड,
मसूरी, जिला- देहरादून।